न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करूणा लाड़ोती (आर०ए०एस०)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 42 / 2024 दर्ज दिनांक 07.03.2024

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :— 2024 / 104

अन्तर्गत धारा :— 53 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. उदयलाल पुत्र लच्छीराम तेली निवासी देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रोशनलाल पुत्र लच्छीराम तेली निवासी देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. अर्जुनसिंह पुत्र सोहनसिंह राजपूत निवासी देवरिया तहसील रायपुर हाल निवास देहगांव, नरोड़ा रोड़, श्याम कुटीर, 2 सी, ब्लॉक नम्बर 602, 108 रींग रोड़ सर्किल के पास अहमदाबाद, गुजरात
2. गोरीकंवर पुत्री सोहनसिंह पत्नि रतनसिंह राजपूत निवासी देवरिया तहसील रायपुर हाल निवास मु.पो. लोहर, तहसील केलवाड़ा जिला राजसंमद
3. तुलसीबाई पत्नि सोहनसिंह राजपूत निवासी देवरिया तहसील रायपुर हाल निवास देहगांव, नरोड़ा रोड़, श्याम कुटीर, 2 सी, ब्लॉक नम्बर 602, 108 रींग रोड़ सर्किल के पास अहमदाबाद, गुजरात
4. भगवानसिंह पुत्र सोहनसिंह राजपूत निवासी देवरिया तहसील रायपुर हाल निवास देहगांव, नरोड़ा रोड़, श्याम कुटीर, 2 सी, ब्लॉक नम्बर 602, 108 रींग रोड़ सर्किल के पास अहमदाबाद, गुजरात
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

:: अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::
(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत)

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद रंगरेज — अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 एकपक्षीय

:: निर्णय ::

दिनांकः— 17/3/2026

1. संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई के इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 08.12.2025 के द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया है कि राजस्व ग्राम देवरिया पटवार हल्का देवरिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त के खाता संख्या 515 में अंकित आराजी संख्या 517 रकबा 0.31 है0 भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से का मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

पर न्यूनतम 8–10 फीट रास्ते की समुचित व्यवस्था रखते हुए विभाजन हेतु प्राथमिक डिकी जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

2. तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक/भू.अ./2026/103 दिनांक 27.01.2026 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया।

3. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की तथा मौका कब्जा संबंधी किसी प्रकार का एतराज जाहिर नहीं किया, अतः प्रारम्भिक डिकी की पालना स्वरूप उक्तानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

4. अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	उदयलाल पुत्र लच्छीराम 1/2 तेली, रोशनलाल पुत्र लच्छीराम 1/2 तेली सा. देह खातेदार	ग्राम देवरिया (खाता संख्या 515)	517/2	0.1550
		योग	**1**	**0.1550**
2	अर्जुनसिंह पुत्र सोहनसिंह 1/4, भागवानसिंह पुत्र सोहनसिंह 1/4, गोरीकंवर पुत्री सोहनसिंह 1/4, तुलसीबाई पत्नि सोहनसिंह 1/4 राजपूत सा. देह खातेदार	ग्राम देवरिया (खाता संख्या 515)	517/1	0.1550
		योग	**1**	**0.1550**

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना–अपना वहन करे।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

निर्णय आज दिनांक 17/3/26 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करूणा लाड़ोती (आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 42/2024 दर्ज दिनांक 07.03.2024

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :– 2024/104

अन्तर्गत धारा :– 53 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. उदयलाल पुत्र लच्छीराम तेली निवासी देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रोशनलाल पुत्र लच्छीराम तेली निवासी देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. अर्जुनसिंह पुत्र सोहनसिंह राजपूत निवासी देवरिया तहसील रायपुर हाल निवास देहगांव, नरोड़ा रोड़, श्याम कुटीर, 2 सी, ब्लॉक नम्बर 602, 108 रींग रोड़ सर्किल के पास अहमदाबाद, गुजरात
2. गोरीकंवर पुत्री सोहनसिंह पत्नि रतनसिंह राजपूत निवासी देवरिया तहसील रायपुर हाल निवास मु.पो. लोहर, तहसील केलवाड़ा जिला राजसमंद
3. तुलसीबाई पत्नि सोहनसिंह राजपूत निवासी देवरिया तहसील रायपुर हाल निवास देहगांव, नरोड़ा रोड़, श्याम कुटीर, 2 सी, ब्लॉक नम्बर 602, 108 रींग रोड़ सर्किल के पास अहमदाबाद, गुजरात
4. भगवानसिंह पुत्र सोहनसिंह राजपूत निवासी देवरिया तहसील रायपुर हाल निवास देहगांव, नरोड़ा रोड़, श्याम कुटीर, 2 सी, ब्लॉक नम्बर 602, 108 रींग रोड़ सर्किल के पास अहमदाबाद, गुजरात
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

:: अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::

(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत्)

निर्णय दिनांक : 17/3/26

डिक्री दिनांक : 17/3/26

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय रायपुर बहाजरी अधिवक्ता वादी **श्री फारूख मोहम्मद मन्सूरी, व पैरोकार सरकार** हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 53** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना–अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	उदयलाल पुत्र लच्छीराम 1/2 तेली, रोशनलाल पुत्र लच्छीराम 1/2 तेली सा. देह खातेदार	ग्राम देवरिया (खाता संख्या 515)	517/2	0.1550
		योग	**1**	**0.1550**
2	अर्जुनसिंह पुत्र सोहनसिंह 1/4, भागवानसिंह पुत्र सोहनसिंह 1/4, गोरीकंवर पुत्री सोहनसिंह 1/4, तुलसीबाई पत्नि सोहनसिंह 1/4 राजपूत सा. देह खातेदार	ग्राम देवरिया (खाता संख्या 515)	517/1	0.1550
		योग	**1**	**0.1550**

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे।

नीज ....Nil...............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17/3/26 को जारी किया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)
(एस.डी.ओ.) रायपुर

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महनताना वकील ( )	—		महनताना वकील ( )	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीश्नर	—		फीस कमीश्नर	—	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—		बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
मुनफरिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)
(एस.डी.ओ.) रायपुर